मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3201
06.12.2019 को उत्तर के लिए

ई-कचरा

3201. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई-कचरा का यदि उचित से उपयोग या निपटान न किया जाए तो वह एक वातावरण में विषाक्तता उत्पन्न करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटान न किए गए ई-कचरे का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रकार के ई-कचरे की मात्रा कितनी है और इसका निपटान न किए जाने का क्या कारण है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के पूर्ण उपयोग के बाद यदि उन्हें घरों या दुकानों में सुरक्षित रूप से संग्रहीत कर लिया जाए तो वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यदि ई - कचरे को खोलकर उनके उपयोगी घटकों या सामग्री को अवैज्ञानिक तरीके से या ऐसे तरीके से जो सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, पुन:प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं या विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे का उचित सावधानी अपनाए बिना खुले में निपटान किया जाता है, तो इससे स्वास्थ्य को जोखिम और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।

(ग) और (घ) सीपीसीबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान 69,414 मीट्रिक टन ई-कचरे का संग्रहण, भंजन और पुनर्चक्रण किया गया। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 में ई-कचरे का पर्यावरणीय रूप से अनुकूल संग्रह, परिवहन, भंडारण, भंजन और पुनर्चक्रण करने के प्रावधान हैं। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों को ई-कचरे के संग्रहण और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन करने के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के सिद्धांतों के तहत जिम्मेदारी दी गई है। ईपीआर योजना में दर्शाए गए अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए ई-कचरे का चरणवद्ध तरीके से संग्रहण कचरा उत्पादन की मात्रा के 10% की दर से और इसके बाद प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि के साथ वर्ष 2023 तक 70% तक करने का लक्ष्य सौंपा गया है।

*****